दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरुवार 15 अप्रैल 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 194

महत्वपूर्ण एवं खास

उत्तर प्रदेश में लगेगा लॉकडाउनः मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ (आरएनएस)। देश के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लॉकडाउन से साफ इन्कार कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यहां कहा कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी लॉकडाउन नहीं होगा। सरकार का प्रयास लोगों के जीवन के साथ उनकी आजीविका का भी है। योगी अभी खुद आइसोलेटेड हैं क्योंकि उनके कार्यालय के कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। उन्होंनें इस बारे में कल ट्वीट कर जानकारी दी थी। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पहले भी अपेक्षा भले ही थोड़ी तेज है, लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की ओर नहीं जा रहे हैं।

डा. अंबेडकर का संघर्ष हर पीढ़ी के लिए मिसालः मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के संविधान रचयिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की 130वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही, कहा कि बाबासाहेब का संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। बता दें कि पीएम मोदी ने आंबेडकर जयंती पर ट्वीट भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं आंबेडकर जयंती पर भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर को सिर झुकाकर नमन करता हूं। उन्होंने अपने संघर्ष से समाज के हाशिये पर पहुंच चुके वर्गों को मुख्यधारा में लाने का काम किया, जो हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल रहेगा। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है और लोकतंत्र हमारी सभ्यता तथा तौर-तरीकों का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतान्त्रिक विरासत को मजबूत करके आगे बढ़े, बाबा साहेब ने इसका मजबूत आधार देश को दिया।

राष्ट्रपति कोविंद ने भी दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाबा साहेब को नमन किया। उन्होंने लिखा, %भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि! डॉ. आंबेडकर ने समतामूलक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके जीवन तथा विचारों से शिक्षा ग्रहण करके उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें।

श्रद्धालुओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा में डुबकी लगाई

ऋषिकेश (आरएनएस)। कुंभ स्नान पर्व पर बुधवार को श्रद्धालुओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच गंगा में डुबकी लगाई। सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की। घाट परिसर में मौजूद बौद्ध भिक्षुओं को दान देकर पुण्य अर्जित किया। स्नान दान आदि का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। बुधवार को ब्रह्ममूहुर्त से ही श्रद्धालु त्रिवेणीघाट का रुख करने लगे। घाट पार्किंग से लेकर त्रिवेणीघाट और नावघाट तक स्नानार्थी गंगा में कुंभ की डुबकी लगाते रहे। गंगा में डुबकी के बाद श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर विधि-विधान से पूजा अर्चना की।

देश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी 1.85 लाख नए मरीज, 1027 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों को लेकर हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में बुधवार को सर्वाधिक रिकॉर्ड 1.85 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले और 1027 लोगों की संक्रमण से जान चली गई।

देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों को लेकर हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में बुधवार को सर्वाधिक रिकॉर्ड 1.85 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले और 1027 लोगों की संक्रमण से जान चली गई।महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए कोरोना मरीजों की यह सर्वाधिक

संख्या है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को कोरोना मरीज के मामलों में मामूली गिरावट आई थी। मंगलवार को बीते 24 घंटों में करीब 1.62 लाख नए कोरोना मरीज मिले थे और 879 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। देश में पिछले करीब एक सप्ताह से हर रोज एक लाख से ज्यादा और चार दिन से डेढ़ लाख के पार कोरोना मरीज मिल रहे हैं। भारत में कोविड-19 मरीजों की संख्या सात अगस्त को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख हो गई थी। इसके बाद 28 सितंबर को यह 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ के पार पहुंच गई थी।

मौतों की संख्या में बढ़ोतरी - स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में 1,84,372 नए कोरोना मरीज मिले, इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,38,73,825 पहुंच गए हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 1,027 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया, इसी के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 1,72,085 हो गई। पिछले छह महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा था। इससे पहले पिछले साल 17 अक्तूबर को सबसे ज्यादा 1,032 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना मृत्यु दर 1.25 प्रतिशत है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई कुल 1,027 मौतों में से 281 महाराष्ट्र से, 156 छत्तीसगढ़ से, 61 कर्नाटक से, 85 उत्तर प्रदेश से और 81 दिल्ली में हुई हैं। मौत के 1,027 नये मामलों में महाराष्ट्र के 281, छत्तीसगढ़ के 156, उत्तर प्रदेश के 85, दिल्ली के 81, गुजरात और कर्नाटक के 67-67, पंजाब के 50, मध्य प्रदेश के 40, झारखंड के 29, राजस्थान के 28, केरल और पश्चिम बंगाल के 20-20, हरियाणा के 16, बिहार के 14, उत्तराखंड के 13, हिमाचल प्रदेश के 11 और आंध्र प्रदेश के 10 मामले हैं। देश में इस बीमारी से अब तक कुल 1,72,085 लोगों की मौत हुई है जिनमें सर्वाधिक 58,526 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, 13,008 लोगों की कर्नाटक में, 12,945 लोगों की तमिलनाडु में, 11,436 की दिल्ली में, 10,434 की पश्चिम बंगाल में, 9,309 की उत्तर प्रदेश में, 7,609 की पंजाब में और 7,321 लोगों की मौत आंध्र प्रदेश में हुई है।

13.65 लाख हुए सक्रिय मामले- स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में सक्रिय मामलों का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर पहुंच रहा है। पिछले 24 घंटों में 82,339 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं, इसी के साथ देश में अब तक 1,23,36,036 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब आधे से भी कम है। फिलहाल, देश में सक्रिय मामले बढ़कर 13,65,704 पहुंच गए हैं।

पिछले छह साल में 56 देशों के 19 हजार नागरिक बने हिंदुस्तानी, नागरिकता लेने वालों में पाकिस्तानी आगे

नई दिल्ली (आरएनएस)। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भले ही लाख तीर-कमान खिंचते रहें, लेकिन पाकिस्तान के कितने ही लोगों के दिलों में आज भी हिंदुस्तान की सरजमीं चूमने के लिए दिल धड़कता है। शायद यही कारण है कि दुनियाभर के देशों में से भारत की नागरिकता लेने वालों में सबसे अधिक पाकिस्तानी रहे। 6 साल में 56 देशों से भारत की नागरिकता लेने वालों में पाकिस्तानियों की भरमार रही। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय में आरटीआई एक्टिविस्ट जीशान हैदर ने एक आरटीआई लगाई गई थी, जिसमें 2015 से फरवरी 2020 तक दुनियाभर के विभिन्न देशों के कितने नागरिकों ने भारत की नागरिकता ली, यह जानकारी मांगी गई थी। जवाब में गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने बताया कि छह साल में 56 देशों के 19,034 नागरिकों ने भारत की नागरिकता ली। इनमें सबसे अधिक पाकिस्तान के 2838 नागरिक रहे। इस दौरान बांग्लादेश के भी 15013 नागरिक हिंदुस्तानी बने। लेकिन इनमें 14864 नागरिक वे थे, जिन्हें इंडो-बांग्लादेश लैंड बॉर्डिंग अग्रीमेंट के तहत 2015 में भारत की नागरिकता दी गई थी। इनसे अलग 6 सालों में 149 बांग्लादेशियों को ही भारत की नागरिकता मिली। भारत के नागरिक बनने वालों में सर्वाधिक 2838 पाकिस्तानी, 666 अफगानिस्तानी, 149 बांग्लादेशी, 107 अमेरिकी, 40 ब्रिटिश, 23 कीनियाई तथा तीन चीनी नागरिक शामिल है। इनके अलावा भारतीय नागरिता लेने वालो में सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसे देशों के लोग भी शामिल हैं।

सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की, 12 वीं की स्थगित

» एक जून की बैठक के बाद होगा फैसला

» सभी स्टूडेंट्स होंगे प्रमोट, 12वीं के पेपर्स से टाले गए

» 4 मई से शुरू होने थे एक्जाम

रायपुर/नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया है।

ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बुधवार दोपहर करीब घंटे भर चली बैठक के बाद लिया गया। इससे पहले कई नेता और राज्य सरकारें सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं टालने की मांग कर चुके हैं। इनमें दिल्ली और पंजाब भी शामिल हैं। आदेश के मुताबिक, 4 मई से 14 जून तक होने वाली 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा. अगर परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित कर दिया जाएगा।

सीबीएसई 10वीं के पेपर्स जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है. बोर्ड की ओर से छात्रों के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर्स दे दिए जाएंगे. अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर्स से खुश नहीं होगा, तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच कई राज्य के मुख्यमंत्रियों, नेताओं ने परीक्षाओं को रद्द करने की अपील की थी. देश में करीब 30 लाख बच्चों को सीबीएसई की परीक्षाएं देनी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीते दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मांग की थी. वहीं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर चुके हैं।

गौरतलब हो कि कोरोना काल के बीच बच्चों की अधिकतर पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से ही हुई थी, बीच में कोरोना के मामले घटने के बाद स्कूल खोले गए थे. लेकिन अब जब परीक्षा की बारी आई है, तब केस फिर से बढ़ने लगे हैं.

48 घंटे में मिले 1000 कोरोना पॉजिटिव, तार-तार हुए कोविड़ नियम

हरिद्वार (आरएनएस)। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहा कुंभ मेला दो हफ्ते पहले आज खत्म हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार और धार्मिक नेताओं के बीच चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है। गंगा नदी के तट पर होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में नदी में डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। इसने देशभर में कोरोना के मामले बढ़ाने को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। वहीं हरिद्वार में बीते 48 घंटे के दौरान 1,000 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज सुबह, साधु और भक्तों की बड़ी भीड़ ने शाही स्नान के लिए मुख्य घाट, हर की पौड़ी में डुबकी लगाई। ये सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का तीसरा प्रमुख स्नान था। राज्य सरकार का कहना है कि दोपहर

2 बजे तक, 9,43,452 श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई थी। पुलिस अधिकारी संजय गुंजयाल ने पत्रकारों से कहा, चौर-भीड़-भाड़ वाले घाटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन मुख्य घाटों पर मौजूद लोगों पर जुर्माना लगाना बहुत मुश्किल है।ज कुंभ का अगला महत्वपूर्ण दिन 27 अप्रैल निर्धारित है।

सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रव्यापी आलोचना और कोरोना को लेकर चिंताओं के बीच, राज्य सरकार ने शक्तिशाली अखाड़ों और साधु-संतों को मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वे हरिद्वार से चले जाएं और आयोजन को खत्म किया जा सके। इसकी वजह है कुंभ में नजर आ रही रिकॉर्ड भीड़। उत्तराखंड पुलिस के प्रमुख अशोक कुमार ने कहा कि दोपहर तक लगभग 10 लाख लोगों ने नदी में स्नान किया।

कुंभ में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पावन नहीं हो रहा है और न ही कोई साधु या उनके अनुयायी घाट पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। वे ऐसे ही घाट पर घूमते और नदी में डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं

बता दें कि उत्तराखंड में मंगलवार को 1,925 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह एक दिन में सामने आए संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके अलावा हरिद्वार में दो दिन में 1,000 मामले सामने आए हैं।

अगले 15 दिनों तक टीवी सीरियलों तथा फिल्मों की शूटिंग पर लगी रोक

मुंबई (आरएनएस)। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से सरकार की नींद उड़ा के रख दी साथ ही लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से लोगों को बचाने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। अगले 15 दिनों तक टीवी सीरियल, एड शूट और फिल्मों की शूटिंग्स को भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। ऐसे में अब फिल्ममेकर्स और फिल्म एसोसिएशन को इंडस्ट्री को होने वाले करोड़ों के नुकसान का डर सताने लगा है। पिछले कल ही हाल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 15 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित की गई ब्रेक द चेन के आदेश के तहत आज रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक ये आदेश लागू किया गया है। इस घोषणा में उन्होंने कहा कि केवल जरूरी सेवाओं को ही इस दौरान काम करने की इजाजत होगी। जरूरी सेवाओं की जो लिस्ट जारी की गई उसमें फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का नाम शामिल नहीं है। इस फैसले के बाद 15 दिनों तक थियटर बंद रहेंगे, जिस कारण अगले दो हफ्तों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर ग्रहण लग गया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लाइज के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला 'बहुत बड़ा झटका' है और इससे हमारे दिहाड़ी मजदूरों पर गहरा असर पड़ेगा।

अब मुस्लिम महिला को भी एकतरफा तलाक देने का अधिकार

» केरल हाईकोर्ट का फैसला

नईदिल्ली (आरएनएस)। केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम महिला को अदालत के बाहर अपने पति को एकतरफा तलाक देने का अधिकार है, जिसे खुला तलाक कहा जाता है। हाईकोर्ट ने इसे कानूनी रूप से वैध माना है। न्यायमूर्ति ए मुहम्मद मुस्तकीम और न्यायमूर्ति सीएस डायस की खंडपीठ ने मुस्लिम पुरुषों के लिए उपलब्ध तालक के अधिकार के लिए कुला की बराबरी की। इसके लिए 1972 के फ़ैसले (केसी मोयिन बनाम नफ़ीसा और अन्य) को गलत ठहराया, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को ऐसे अधिकार से वंचित रखा गया।

1972 के फैसले में एक एकल पीठ ने कहा था कि एक मुस्लिम महिला अपने पति को अदालत से बाहर तलाक नहीं दे सकती है। मुस्लिम पुरुषों को इस माध्यम से तलाक देने की अनुमति है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि महिलाओं को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 (डीएमएमए) के तहत कोर्ट का रास्ता अपनाना आवश्यक है।

बता दें कि अपील की एक बैंच पर विचार करने के बाद, डिवीजन बेंच ने कहा कि डीएमएमए केवल फास्ख को नियंत्रित करता है। अदालत इसमें दिए गए कारणों की वैधता पर अपना फैसला सुनाता है। अदालत ने कहा कि अतिरिक्त न्यायिक तलाक के अन्य तरीके (तल्ख-ए-तफ़विज़, खुला, और मुबारत) मुस्लिम महिला के लिए उपलब्ध हैं, जैसा कि शरीयत अधिनियम की धारा 2 में इसका जिक्र है। तालाक-ए-तफ़वीज़ एक अनुबंध पर आधारित है और पति द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर पत्नी तलाक प्राप्त कर सकती है। मुबारट में आपसी सहमति से अलग होने का प्रावधान रहा है।

अदालतें मनमाने तरीके से नहीं करें शक्तियों का इस्तेमालः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि आपराधिक मामले में अंतरिम आदेश के जरिए अभियुक्तों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने का आदेश रूटीन तरीके से पारित नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायपालिका और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बीच तालमेल जरूरी है। अदालतों को अपराधों की छानबीन के चरण में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। अपवाद या अतिसाधारण स्थिति में, जब लगे कि न्याय की हत्या हो रही तो ही अदालत को इस तरह का आदेश पारित करना चाहिए।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मंगलवार को कहा, आमतौर पर, जब जांच जारी रहती है व तथ्य अस्पष्ट होते हैं और हाईकोर्ट के समक्ष पूरे सबूत या सामग्री उपलब्ध नहीं होते हैं तो अंतरिम आदेश पारित कर आरोपियों को गिरफ्तार न करने या दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देने से बचना चाहिए। कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर कर मुकदमे को रद्द करने वाली याचिका का निपटारा कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि कोर्ट के पास उपलब्ध असाधारण व निहित शक्तियों का इस्तेमाल मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। पीठ ने यह फैसला मैसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण के अलावा उसके खिलाफ किसी तरह की कठोर कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी थी।

अदालतों को सतर्क रहने की आवश्यकता - पीठ ने कहा, धारा- 482 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने में अदालत को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि पुलिस के पास वैधानिक अधिकार है और कानून के तहत उसका कर्तव्य है कि वह संज्ञेय अपराध की छानबीन करें। अदालत को ऐसे किसी छानबीन को शुरुआती दौर में विफल नहीं करना चाहिए। दुर्लभ मामलों में ही मुकदमे या शिकायत को निरस्त किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा है कि मुकदमे या शिकायत को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट को एफआईआर में लगाए गए आरोपों की सत्यता पर नहीं जाना चाहिए।